2

सुविधा वंचित समूहों एवं दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर कोविड–19 का प्रभाव

विनय कुमार सिंह*

भारत में सभी के लिए विद्यालयी शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कई प्रयास किए जा रहे हैं जिससे सभी की अंतर्निहित विविधताओं से पूरे समाज को अवगत व लाभान्वित किया जा सके। विद्यालयी शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयी संरचना में विकास, शिक्षा प्रणाली में संशोधन, सभी बच्चों का नामांकन, कक्षा-कक्ष में शिक्षण-अधिगम गतिविधियों मे सुधार, सीखने के समान अवसर, अधिगम संप्राप्ति, बच्चों के विकास के आकलन की विभिन्न विधियों का समागम, समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक कौशलों के विकास हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण और सुविधा वंचित समूहों के बच्चों की शिक्षा से संबंधित कई लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन इत्यादि अनेक महत्त्वपूर्ण कदम हैं। ये सभी कदम विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच शिक्षा की असमानता को कम करने की दिशा में अनवरत क्रियाशील हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों को विशेष रूप से निर्दिष्ट किया गया है जिससे उन्हें समान रूप से सीखने के अवसर प्रदान किए जा सकें और सभी सामाजिक वर्गों का समुचित विकास हो। शिक्षा और सामाजिक न्याय संबंधी अधिनियमों व विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से भारतीय समाज की समावेशी संस्कृति में व्यापकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज सारा विश्व कोविड–19 वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और भारत जैसा विशाल जनसंख्या वाला देश भी इससे अछूता नहीं रहा है। इस महामारी के गंभीर प्रभाव लगभग सभी क्षेत्रों में देखने को मिले हैं। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, रोज़गार, संप्रेषण और पर्यटन इत्यादि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बच्चों का शिक्षण-अधिगम दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के जरिये संचालित किया जा रहा है ताकि वे शिक्षा से जुड़े रहें। अचानक आई इस विपदा में दूरस्थ ऑनलाइन शिक्षा ही एक तरह से एकमात्र साधन है, जिसकी सभी के लिए सुलभता, सुगम्यता एवं उपलब्धता हो। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कई उपाय किए जा रहे हैं। बावजूद इन तमाम कोशिशों और प्रयासों के दूरस्थ ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से सभी बच्चे, मुख्यत: सुविधा वंचित व दिव्यांग बच्चे आशानुरूप लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं जिसके कई कारण हैं। इस वस्तु-स्थिति से हम सभी परिचित हैं कि कोविड–19 के कारण इस आपदाकाल में बिना आवश्यक तैयारी के ही हमें दूरस्थ ऑनलाइन शिक्षा

© NCERT not to be republished

* *प्रोफ़ेसर,* विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरबिंदो मार्ग, नयी दिल्ली 110016

के माध्यम को अवैकल्पिक तौर पर अस्थायी रूप से अपनाना पड़ा है। इस शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित, समन्वयित, संगठित और नियंत्रित करने के विभिन्न उपाय भी कई तरह से किए जा रहे हैं फिर भी चुनौतियाँ कम नहीं हैं। इस लेख में इन्हीं सारे मुद्दों और चुनौतियों, जैसे कि कोविड–19 का विद्यालयी शिक्षा पर प्रभाव, सुविधा वंचित समूहों एवं दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में दूरस्थ ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से संचालित शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, आवश्यक प्राविधियाँ, उपकरण व तैयारी, इन बच्चों की आवश्यकताएँ, शिक्षा जगत से जुड़े हितधारियों के अथक प्रयासों व समक्ष आई चुनौतियों की समीक्षा कर आवश्यक शैक्षिक रणनीतियों को अपनाने हेतु सुझाव दिए गए हैं।

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सामाजिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के नीतिगत प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं जिससे विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच की असममानता समाप्त हो और सभी वर्गों का समुचित विकास हो सके। फिर भी भारतीय समाज में सामाजिक एवं आर्थिक आयामों पर दृष्टिगत असमानताएँ नज़र आती हैं। इन सामाजिक असमानताओं को कम करने के उद्देश्य से समावेशी समाज की परिकल्पना की गई है कि एक ऐसे समाज का विकास हो जिसमें हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें। इसके साथ ही वह विकास करे, अपने समाज में समान अधिकार के साथ जीवनयापन कर सके, समाज के प्रति ज़िम्मेदार हो और अपने समाज के विकास में पूर्णतया सहयोग कर सके। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज में विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच समानता का भाव लाया जा सकता है। समावेशी शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष को उसके समाज में समानता का हक दिलाने में सहायक होती है। सामाजिक-आर्थिक रूप से सुविधा वंचित समूहों के बच्चे अभी भी न्यायसंगत शिक्षा, जो उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त करने में मदद करती है, से वंचित रह गए हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों को उनके सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक पहचान, दिव्यांगता, जेंडर, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों इत्यादि के आधार पर संदर्भित किया गया है। शिक्षा का अधिकार (संशोधित) अधिनियम, 2012 के अनुसार, "वंचित समूहों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भाषाई, जेंडर, भौगोलिक इत्यादि समूहों के बच्चे सम्मिलित हैं।" शिक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2011–12 में भी इन्हीं वंचित समुदायों से संबंधित बच्चों का उल्लेख किया गया है (शिक्षा मंत्रालय, पूर्व में मानव विकास संसाधन मंत्रालय (2018)। इन वंचित समूहों में दिव्यांग बच्चे भी सम्मिलित हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में गति विषयक दिव्यांगता, उपचारित कुष्ठ रोग, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, माँसपेशी अपक्षय, अम्ल आक्रमण पीड़ित, अंधापन और निम्न दृष्टि; बधिरता और श्रवणक्षीणता, वाक् और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, स्वलीनता, मानसिक रूग्णता, मल्टीपल स्कलेरोसिस, पर्किंसन्स

© NCERT not to be republished

रोग, रक्त-संबंधी विसंगतियाँ (हीमोफ़ीलिया, थैलेसीमिया और सिक्कल कोशिका रोग) और बहुविध दिव्यांगता इत्यादि के रूप दिव्यांगता को निर्दिष्ट किया गया है। इसी तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों से संबंधित बच्चों की पहचान उनके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय (जो कि सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की वार्षिक आय की न्यूनतम सीमा से कम हो) के आधार पर की जाती है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009)। इन सारे सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों का निर्दिष्टिकरण करने का अभिप्राय केवल उन्हें अन्य सभी बच्चों के साथ समान रूप से सीखने के अवसर प्रदान करना ही नहीं है, वरन् इसकी व्यापकता उनकी भाषाओं, परंपराओं, संस्कृतियों, ज्ञान, कौशल संबंधी विविध संसाधनों से पूरे समाज को अवगत व लाभान्वित कराने वाली शिक्षा की समावेशी संस्कृति बनाने के अर्थ में है।

जनसांख्यिकीय पटल पर सुविधा वंचित समूह और बच्चों की शिक्षा

जनसांख्यिकीय पटल पर भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या 1221 (2001) से 1206 (2011) हो गई है, जबकि अनुसूचित जनजातियों की संख्या 664 (2001) से बढ़कर 701(2011) हो गई है। दिनांक 26.10.2017 को संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट जातियों की संख्या 1284 थी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 2018)। जनगणना 2011 के अनुसार, अनुसूचित जाति कुल आबादी का 16.63 प्रतिशत है, जिसमें लगभग 76.4 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और लगभग 23.6 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। अनुसूचित जनजाति भारत की जनसंख्या का 8.63 प्रतिशत है, जिसमें 47 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे और 30 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। दिनांक 31.12.2017 को भारत में केंद्रीय सूची में अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित जनजातियों की संख्या 747 थी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 2018)। एनएसएसओ रिपोर्ट 2011–12 (रिपोर्ट संख्या 563) के अनुसार, भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आबादी 44 प्रतिशत है। दिनांक 31.03.2018 को भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में केंद्रीय सूची में अधिसूचित जातियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या 2479 थी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 2018)। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, अल्पसंख्यकों में मुस्लिम आबादी 17.22 करोड़ (14.23 प्रतिशत), ईसाई 2.78 करोड़ (2.30 प्रतिशत), सिख 2.08 करोड़ (1.72 प्रतिशत), बौद्ध 84.43 लाख (0.70 प्रतिशत) और जैन 44.51 लाख (0.37 प्रतिशत) हैं। पारसी समुदाय के लिए 2011 की जनगणना में आँकड़े उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, द *हिंदू* (26 जुलाई, 2016) में प्रकाशित 'पारसी पॉपुलेशन डिप्स बाई 22 परसेंट' लेख के अनुसार 2001–2011 के बीच पारसी आबादी 22 प्रतिशत घट गयी है। 2011 में कुल पारसी की जनसंख्या 57,264 थी, जो 2001 में 69,601 थी। दुनिया की कुल आबादी का लगभग 15 प्रतिशत (1 अरब से अधिक) की आबादी दिव्यांगजनों की आँकी गई है (विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2011)। दिव्यांगजनों को अपने जीवनयापन को सुचारू रूप से चलाने हेतु अनेक प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। करीबन 2 से 4 प्रतिशत दिव्यांगजन तो उस श्रेणी में आते हैं जिन्हें दिन-प्रतिदिन के सामान्य गतिविधियों

को पूरा करने के लिए भी निरंतर सहायता की आवश्यकता पड़ती है।

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की कुल आबादी का 2.21 प्रतिशत दिव्यांगजनों का है जो कि इनके वैश्विक आँकड़ों से काफी कम है। इसका कारण यह हो सकता है कि भारत की जनगणना 2011 में सभी प्रकार के निर्दिष्ट दिव्यांगता (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016) को सम्मिलित नहीं किया जा सका था। कुल दिव्यांगजनों की आबादी का 1.7 प्रतिशत 0 से 19 आयुवर्ग का है और यदि इन्हें विभिन्न विद्यालयी स्तरों के अनुरूप बाँट कर देखें तो 0–4 वर्ष के बीच 1 प्रतिशत की आबादी है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के स्तर पर है। इनमें से काफ़ी को आरंभिक पहचान व चिकित्सकीय सेवाओं की नितांत आवश्यकता होती है। 5–9 वर्ष के आयुवर्ग में करीबन 1.5 प्रतिशत दिव्यांग बच्चे प्राथमिक विद्यालयी स्तर के हैं। यह बुनियादी शिक्षा से प्रारंभिक शिक्षा की ओर अग्रषित बच्चों का समूह होता हैं। इसी प्रकार 10–19 आयुवर्ग में 2 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग बच्चे हैं जो पूर्व-माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालयी स्तर पर हैं।

भारत ने पिछले दो दशकों में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में लगभग सार्वभौमिक नामांकन प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली है। हालाँकि, कुल नामांकन दर कक्षा 6–8 में 90.9 प्रतिशत, कक्षा 9–10 और 11–12 में यह क्रमशः केवल 79.3 प्रतिशत और 56.5 प्रतिशत ही थी, जो यह दर्शाती है कि नामांकित बच्चों का एक महत्वपूर्ण अनुपात कक्षा 5 के बाद और विशेष रूप से कक्षा 8 के बाद विद्यालय से बाहर चला जाता है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020)। अत: विद्यालय में उच्च कक्षाओं तक बच्चों को टिका कर शिक्षा प्रदान करना अभी भी एक बड़ी चुनौती की ओर इशारा करता है और यह एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। विद्यालयी बच्चों में अनुमानित 6.2 करोड़ (6 से 18 वर्ष के बीच) विद्यालय से बाहर थे (यूआईएस, 2013)। 2017–18 में एनएसएसओ द्वारा किए गए 75 वें दौर के घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, 6 से 17 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों की संख्या 3.22 करोड़ थी। विद्यालयी शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर नामांकन में यह गिरावट सुविधा वंचित समूहों के बच्चों में ज़्यादा है। यू-डीआईएसई 2016–17 (नीपा, 2017) के आँकड़ों के अनुसार, लगभग 19.6 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर पर यह अंश 17.3 प्रतिशत है। विद्यालयी शिक्षा में नामांकन संबंधी गिरावट का यह आँकड़ा अनुसूचित जनजाति के बच्चों के संदर्भ में क्रमश: 10.6 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत और दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में क्रमश: 1.1 प्रतिशत से 0.25 प्रतिशत है, जो उनकी काफ़ी गंभीर विद्यालयी शिक्षा की स्थिति को दर्शाता है। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के अंतर्गत छात्राओं की उच्च शिक्षा में नामांकन में गिरावट और भी अधिक है जो छात्राओं की विकट सामाजिक व पारिवारिक परिवेश व शिक्षा के उनके अधिकार की अवहेलना की ओर इंगित करता है।

कोविड–19 वैश्विक महामारी का सुविधा वंचित एवं दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव

यदि विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो सामाजिक-आर्थिक रूप से सुविधा वंचित समूहों के बच्चे और दिव्यांग बच्चे पहले से ही शिक्षा संबंधी

सेवाओं से वंचित रहे हैं। उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा उन्हें नहीं मिल पा रही है। विद्यालय में दाखिले से लेकर कक्षा-कक्ष की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से लाभान्वित होने के लिए उन्हें कई कठिनाईयों से जूझना पड़ता है। ऐसे में कई बच्चे तो विद्यालय का परित्याग तक कर देते हैं चाहे विद्यालय में उनके लिए समावेशी व्यवस्था हो या फिर वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था। उनके ऐसा करने का कारण हमारी शिक्षण-अधिगम व्यवस्था उनकी अधिगम-संबंधी आवश्यकताओं की परिपूर्ति नहीं कर पाती है और विवशत: ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। विद्यालय-त्यागी दिव्यांग बच्चों की संख्या तुलनात्मक रूप से अन्य सभी विद्यालय-त्यागी बच्चों की संख्या मे अनुपातन कहीं अधिक है, जो काफी चिंतनीय है। उस पर अब कोविड–19 महामारी की वजह से इन सुविधा वंचित समूहों के बच्चे शिक्षा व अपने सामाजिक परिवेश से बिल्कुल अलग-थलग पड़ गए हैं। संभवत: आने वाले दिनों में कोविड–19 महामारी से बचाव हेतु टीकाकरण के बावजूद इन समूहों के कई बच्चे विद्यालय का परित्याग कर सकते हैं और इस चुनौती से निबटने के लिए उपर्युक्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

कोविड–19 वैश्विक महामारी के संक्रमण का खतरा तो हम सभी के लिए बना हुआ है, पर दिव्यांगजनों के लिए इसके संक्रमण का खतरा और भी ज़्यादा है क्योंकि उन्हें लगातार किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में रहना होता है जिससे वे सहायता प्राप्त करने हेतु बाध्य होते हैं। साथ ही कई दिव्यांगजन तो उनकी दिव्यांगता की प्रकृति की वजह से ऐसे संक्रमण के चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि उनमें रोग-प्रतिरोधक क्षमताओं की कमी हो सकती है। सत्यता तो यह है कि भारत जैसे बृहत और विकासशील देश में दिव्यांगजनों की संख्या भी अन्य देशों की तुलना में अत्यधिक है। अत: दिव्यांगजनों की स्वास्थ्य, शिक्षा व पुनर्वास संबंधी सेवाओं की व्यवस्था करना तथा उन तक इन सेवाओं को पहुँचाना अतिआवश्यक हो जाता है, यद्यपि यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण भरा कार्य है।

जैसा कि सभी यह अनुभव कर चुके हैं कि अन्य बच्चों की तरह ही दिव्यांग एवं अन्य सुविधा वंचित समूहों के बच्चे और उनके व हमारे परिवार के सदस्य कोविड–19 के महामारी की वजह से विद्यालय बंद रहने के कारण काफी प्रभावित हुए हैं। कोविड–19 से पूर्व इन विशेष वर्गों के बच्चे अन्य बच्चों की तरह ही नियमित विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे जहाँ आवासीय विद्यालय या व्यवस्था है वहाँ सुविधा वंचित समूहों के बच्चे आवासीय विद्यालय परिसर में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वहीं दिव्यांग बच्चों का एक समूह विशेष विद्यालयों, गृह आधारित, गृह-विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने को भी बाध्य था। इस प्रकार की वैकल्पिक विद्यालयी शिक्षा में मुक्त विद्यालयों व पुनर्वास केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली नैदानिक-शिक्षा अहम् स्थान बनाए हुए थी। हालाँकि, ऐसे वैकल्पिक विद्यालयी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों का कोई सत्यापित आँकड़ा मौजूद नहीं है और न ही यह आँकड़ा उपलब्ध है कि कितने विद्यार्थी किस प्रकार की शैक्षिक व संबद्ध सहायता प्राप्त कर रहे हैं। विद्यालयी शिक्षा से बाहर रहने वाले बच्चों के भी सही आँकड़े का जायजा नही लिया गया है और यह एक तरह से अनुमानित ही रहा है। दिव्यांग बच्चों व अन्य सुविधा वंचित समूहों के बच्चों के बीच एक ऐसा भी वर्ग है जो इस महामारी के प्रादुर्भाव होने के पूर्व से ही दूरस्थ शिक्षा जैसी

© NCERT not to be republished

वैकल्पिक शिक्षा-व्यवस्था से जुड़ा था, अब उनके लिए यह व्यवस्था काफी लाभप्रद साबित हो रही है, क्योंकि वे इस शिक्षा व्यवस्था से अभ्यस्त हो चुके थे।

वर्तमान समय में इंटरनेट के माध्यम से सीधे संपर्क व संवाद प्रणाली का प्रयोग कर कोविड–19 महामारी से बचने हेतु दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने-अपने घरों में बैठे बच्चों के लिए दूरस्थ शिक्षण-अधिगम की व्यवस्था की गई है। लेकिन सत्यता यह है कि बस मुट्ठीभर बच्चे ही इस शिक्षा व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं। कई कारणों से यह शिक्षा व्यवस्था इन सुविधा वंचित समूहों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में कारगर सिद्ध नहीं हो पा रही है। लेकिन यह सत्य है कि दूसरा कोई अन्य विकल्प नज़र भी नहीं आ रहा है जिसे हम आज की इस विषम वैश्विक परिस्थिति में शिक्षण-अधिगम को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयोग में ला सकें। आर्थिक स्थिति या यूँ कहे कि गरीबी, सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश, भाषायी विविधता, भौगोलिक वातावरण, दूर-दराज के विषम पारिस्थितिक क्षेत्र, विद्युत व इंटरनेट सुविधाविहीन क्षेत्र, आवश्यक उपकरणों व सॉफ़्टवेयर की अनुपलबद्धता, दिव्यांगता, पारिवारिक लैंगिक दंभता, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण-अधिगम प्रदान करने के लिए आवश्यक कौशल से अनभिज्ञयता और भी न जाने कितने सारे कारक हैं जो इस दूरस्थ शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। विकासशील राष्ट्रों की, तकनीकी सामर्थ्य व राजनीतिज्ञ इच्छाशक्ति भी इन कारकों में सन्निहित हैं जिसके कारण इंटरनेट के जरिए संपर्क करने की व्यवस्था उतनी सबल नहीं है जितनी भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश में होनी चाहिए। ऐसे में कितने दिव्यांग या सुविधा वंचित बच्चे वाकई में इस कोविड–19 जैसी महामारी के बीच दूरस्थ-इंटरनेट शिक्षण की व्यवस्था से लाभान्वित हो पा रहे हैं या जुड़ भी पा रहे हैं, इसका सही आँकड़ा या अनुमान लगाना भी काफी कठिन है। यद्यपि तत्काल में पूर्णतया ऑनलाइन, अर्ध-ऑनलाइन अथवा ऑफ़लाइन माध्यम का प्रयोग यथोचित रूप से दूरस्थ शिक्षण-अधिगम हेतु किया जा रहा है। किंतु यह सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि विद्यार्थी अपना अध्ययन जारी रख रहे हैं अथवा नहीं (विशेषकर सुविधा वंचित व दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में) क्योंकि यह व्यवस्था इन सुविधा वंचित बच्चों की अधिगम संबंधी आवश्यकताओं का न तो आकलन कर पा रही है और न ही किसी भी प्रकार से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रही है। कारण स्पष्ट है— ज़्यादातर एकतरफा शिक्षण हो रहा है और चाहकर भी विद्यार्थी-केंद्रित नहीं हो पा रहा है। इससे डर यह है कि कई बच्चे, विशेषकर दिव्यांग व अन्य सुविधा वंचित समूह के बच्चे हमारी इस शिक्षा व्यवस्था से या तो हाशिये पर चले जाएँगे या शिक्षा से वंचित रह जाएँगे या फिर अदृश्य बने रहेंगे। ऐसी स्थिति में हमारे इतने वर्षों की समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा की दिशा में अग्रसित तमाम कोशिशें व्यर्थ हो जाएँगी।

सुविधा वंचित समूहों के बच्चों की दूरस्थ शिक्षा से संबंधित आवश्यकताएँ

आइए, एक नज़र डालें इन बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं पर— ऑनलाइन प्लेटफ़ार्म की सुलभता, जैसे कि बिजली की आपूर्ति, इंटरनेट की सुविधा, नेटवर्क सहसंपर्क, इंटरनेट-डेटा-योजना, डेटा-योजना की सक्रियता पर खर्च, उपकरण, विद्यालयी शिक्षा संबंधित-ऐप की उपलब्धता, जानकारी व प्रयोग करने का ज्ञान, ऐप की उपयुक्तता व अधिगम-आवश्यकताओं के

© NCERT not to be republished

अनुरूप अनुकूलन, बेव-साइट अन्वेषण, सहायक सॉफ़्टवेयर इत्यादि कई आवश्यकताएँ, उच्च तकनीक आधारित शिक्षण प्लेटफ़ॉर्म की सुविधा व सुलभता से संबंधित हो सकती हैं, जैसे कि छपी हुई सामग्री से वाक् या ब्रेल में रूपांतरण, वाक् से छपी हुई या स्पर्शीय सामग्री में बदलने की सहूलियत, ब्रेल प्रिंट की सुविधा, सांकेतिक भाषा में शिक्षण-अधिगम तथा सांकेतिक भाषा में दृष्टिगोचर शिक्षण सामग्री इत्यादि। सभी बच्चों के लिए ई-पुस्तक, डिजिटल-पुस्तक, कार्य-पत्र, डेजी-पुस्तक (डिजिटल-श्रवणसुलभ-सुचनात्मक संकलित पुस्तक), ब्रेल-उपकरण आदि, अधिगम संसाधनों की उपलब्धता और अभिगम्यता जैसे ऑफ़लाइन या अर्ध-ऑनलाइन माध्यम से संकलित सामग्रियों की उपलब्धता व अभिगम्यता, जैसे कि व्हाट्स-ऐप के माध्यम से भेजी गयी सामग्रियों को प्रिंट करने की सुविधा, डाउनलोड किए गए वीडियो देख पाना आदि का भी निरंतर आकलन कर सुनिश्चित करना आवश्यक है। घर पर सहायक सेवाओं की उपलबद्धता, जैसे कि मानवदत्त-सेवाएँ, थेरेपी, श्रवण-सामग्री, वाक्-भाषा संबंधी सामग्री, दिनचर्या में प्रयोग की जाने वाली विशेष सामग्री, उपकरण, गतिविषयक-सामग्री अथवा अन्य सहायक सामग्री की उपलबद्धता भी विचारणीय है। ऑनलाइन माध्यम से सिखाई जाने वाली गतिविधियों को स्वयं करने व सीखने हेतु आवश्यक सामग्री व सहायता भी अपेक्षित है। अन्य ज़रूरतें—जैसे कि स्वास्थ्य-चिकित्सा-संबंधी ज़रूरतें, शारीरिक-वाक्-भाषा विकास हेतु आवश्यक थेरेपी, परामर्श सेवाएँ, पूर्व-व्यवसायिक-कौशल विकास हेतु सामग्री व सहायता आदि और ऐसी कई आवश्यकताएँ हैं जो कि दिव्यांग एवं सुविधा वंचित समूह के विद्यार्थियों के लिए नितांत आवश्यक हैं।

दूरस्थ शिक्षा पद्धति संबंधी चुनौतियों पर विवेचना

दूरस्थ शिक्षा पद्धति जो फिलहाल में बड़े ही व्यापक रूप से अवैकल्पिक-एकमात्र माध्यम के तौर पर बिना किसी पूर्व तैयारी या क्षमता संवर्द्धन के अपनाई गई है। बिना पूर्व तैयारी के ऐसा करना अति चिंतनीय है। यह पद्धति सभी बच्चों की दिनचर्या एवं शिक्षा में एक तरह से बाधक बन रही है जो बच्चों की आदतों, स्वभाव, व्यवहार और अभ्यास में गंभीर रूप से अंतर्भेदन कर समाहित हो रहा है और इसके परिणाम कभी प्रत्यक्ष, तो कभी परोक्ष रूप में सामने तो आएँगे ही। इससे बच्चों की दिनचर्या की गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। बच्चे, शिक्षकों से आवश्यक एवं यथोचित सहायता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। दिव्यांग बच्चे जो गृह-आधारित शिक्षा प्राप्त कर रहे थे वह तो अब दूरस्थ पद्धति में संभव ही नहीं है क्योंकि यह व्यक्तिगत शिक्षा पद्धति पर आधारित है। साथ ही साथ इन बच्चों को विशेष शिक्षकों या संसाधन शिक्षकों से सहायता नहीं मिल पा रही है। कुछेक बच्चे जो स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से जूझ रहे थे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सेवाएँ भी प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। इस पद्धति में सहपाठी-सहायता, सामाजिक शिक्षण और परस्पर स्वाभाविक संवाद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, जो कक्षाकक्ष और विद्यालयी गतिविधियों के दौरान स्वत: ही हो जाया करती हैं। यदि कोई दिव्यांग बच्चा किसी प्रकार का सहायक उपकरण प्रयोग कर रहा है तो उन उपकरणों की देखभाल और रखरखाव बाधित हो गया है। बच्चे उपकरणों का प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। कई बच्चे अपनी सीमाओं के कारण कम्प्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। वे इन उपकरणों से परिचित नहीं होने या प्रयोग न

© NCERT not to be republished

कर सकने के कारण दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। कई बच्चे अपनी दिव्यांगता की प्रकृति के कारण कम्प्यूटर, इंटरनेट या ऐप के जरिए चलायी जाने वाली शिक्षण-अधिगम पर ध्यान एकाग्रचित ही नहीं कर पाते हैं। सुविधा वंचित समूहों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए तो इस माध्यम से सीखना काफी महँगा है और वे इसका बोझ वहन करने में असमर्थ हैं। पैसे, ऊर्जा व समय के व्यय के अनुरूप परिणाम न प्राप्त होने के कारण, कई तो इसे उबाऊ और थकाऊ अधिगम का माध्यम मानने लगे हैं। इस तरह दिव्यांग व सुविधा वंचित समूहों के बच्चों के लिए दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था में भागीदारी एक तरह से सीमा बाधित है, जिसके कारण उनकी अधिगम में सक्रिय भागीदारी न के बराबर है।

सुविधा वंचित समूहों के बच्चे, जो ज़्यादातर ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में रहते हैं वे शिक्षा की आवासीय व्यवस्था या आवासीय विद्यालयों, जैसे कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय इत्यादि के जरिए शिक्षा उपार्जित कर रहे थे। इसके अतिरिक्त कई अधिगम-गतिविधियाँ गैर-आवासीय/दिवसीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था के आकर्षण के जरिये संचारित की जा रही थीं। इस कोविड–19 महामारी की वजह से इस प्रकार की सभी विद्यालय व अधिगम संबंधी सहायक एवं लाभकारी व्यवस्था लगभग बंद सी हो गयी है। बच्चों की मनोरंजक गतिविधियाँ, खेलकूद आदि जो उनके विकास मूलभूत आयाम हैं, उन पर काफी प्रभाव पड़ा है। कई शिक्षकों में सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी कौशल एवं ज्ञान की कमी है। हालांकि कई शिक्षकगण शिक्षण सत्रों को तो ऑनलाइन माध्यम में किसी कुशल व्यक्ति की सहायता से संचालित करना तो सीख गए हैं पर इस माध्यम के जरिए संदेश, ऑडियो, वीडियो, कार्यपत्रक भेजना या पाए गए ऐसे संदेशों का आंकलन व उनकी उसी पटल पर समीक्षा कर पाने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। इस संबंध में आँकड़े भी मौजूद नहीं हैं कि कितने शिक्षक और विशेष शिक्षक सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी कौशल में प्रशिक्षित हैं या फिर वे बुनियादी कार्य ऑनलाइन व सूचना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कर सकते हैं। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में नियमित शिक्षकों के साथ-साथ विशेष शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये दोनों मिलजुल कर किसी दिव्यांग बच्चे की अधिगम संबंधी आवश्यकताओं की पहचान कर, उसकी विवेचना कर शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं के दौरान पाठ्यगत बाधाओं को दूर कर उसके अध्ययन को सुगम बनाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए दोनों तरह के शिक्षकों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए जो इस महामारी के दौरान बाधित हो चुका है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं विशेष शिक्षकों के बीच का समन्वय भी बाधित हो चुका है। यदि यूँ कहें कि सुविधा वंचित व दिव्यांग बच्चों की शिक्षा दुर्घटनाग्रस्त हो गयी है तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी।

आवश्यक रणनीतियाँ एवं सुझाव

दूरस्थ शिक्षा को इस प्रकार से प्रयोग में लाने की ज़रूरत है जिससे कि यह सरलता से बच्चों के लिए सुलभ हो जाए। सीखने-सिखाने की सार्वभौमिक संरचना का उपयोग दूरस्थ शिक्षा में किया जाना चाहिए। इस सीखने-सिखाने की सार्वभौमिक संरचना का उद्देश्य है कि शिक्षकगण विविध प्रकार की अधिगम आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को

समतामूलक समावेशी शिक्षा प्रदान कर सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों का अवलोकन करें कि वे कैसे सीखते हैं और सीखने के बाद वे कैसे अपने ज्ञान को अभिव्यक्त करते हैं। दूरस्थ शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों की विविध अधिगम संबंधी आवश्यकताओं का आकलन किया जाये। शिक्षक विभिन्न गतिविधियों की प्रस्तुति करने के लिए विभिन्न पद्धतियों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम के अनुरूप ढाल लें। यह भी आवश्यक है कि विभिन्न गतिविधियों में बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए। इसके लिए बच्चों के उत्तर देने के विभिन्न तरीकों के आधार पर उनके अधिगम संबंधी आवश्यकताओं का विश्लेषण करना आवश्यक है। अत: विभिन्न गतिविधियों विषय-वस्तु को सफलता पूर्वक संचालित कर सकते हैं।

दूरस्थ शिक्षा चूँकि समक्ष-कक्षा व्यवस्था से भिन्न होती है अत: यह आवश्यक हो जाता है कि पाठ्यचर्या आवश्यकतानुसार संशोधित व समायोजित की जाए। उदाहरण के तौर पर प्रारंभ में बहुत कम कार्य दिए जाएँ, सरल, धीमी गति से, स्पष्ट छोटे-छोटे अनुदेश दिए जा सकते हैं। गृह-अभ्यास कार्य भी सरल दिए जाने चाहिए। पठन-लेखन अभ्यास, श्रव्य-दृश्य सामग्रियों का समुचित समावेश अतिआवश्यक है। दूरस्थ शिक्षा वस्तुत: चार सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए— अभिगम्य, संचालन योग्य, बोधगम्य और सुदृढ़। अभिगम्यता से तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विषय-वस्तु एवं सूचना और प्रौद्योगिकी पर आधारित सामग्रियों की पहचान कर सकें। उदाहरण के तौर पर साधारणतया हम सभी देखकर किसी विषय-वस्तु का बोध कर लेते हैं जबकि हम सभी के बीच कुछ लोग सुनकर या छूकर वस्तुओं या सामग्रियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि वे देख नहीं सकते हैं, चाहे वह वस्तु या सामग्री पठन-पाठन या सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित ही क्यों न हों। संचालन योग्य माध्यम का अभिप्राय विषयवस्तु या सूचना और प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं एवं तकनीकी विशेषताओं, जैसे कि संचालक बटन, नियंत्रण, पथ-प्रदर्शक व अन्य आवश्यक तत्वों का प्रयोग उपभोगकर्ता या विद्यार्थी सफलतापूर्वक कर पाने से है। कई विद्यार्थी नियंत्रण निर्देश को देखकर पहचान लेते हैं, फिर क्लिक करते हैं, टैप करते हैं या स्वाइप करते हैं; जबकि अन्य कम्प्यूटर की-बोर्ड या फिर ध्वनि निर्देश के जरिए ही विषय-वस्तु पर नियंत्रण रखकर सफलतापूर्वक उसका उपयोग कर सकते हैं। बोधगम्य विषयवस्तु या सूचना और प्रौद्योगिकी का मतलब यह है कि विद्यार्थी विषयवस्तु को समझ पाएँ, सीख सकें और यह याद रख सके कि उसका उपयोग कब और कैसे करना है? बोधगम्य विषयवस्तु की प्रस्तुति एवं रूपरेखा सुसंगत हो, इसकी संरचना व उपयोग करने के तरीकों का अनुमान लगाया जा सके, संक्षिप्त हो, बहु-प्रारूपीय हो, इसमें संलिप्त ध्वनि व लय भी विद्यार्थियों के प्रयोग करने के अनुरूप होने चाहिए। सुदृढ़ विषयवस्तु या सूचना और प्रौद्योगिकी का अर्थ यह है कि ऐसी विषय-वस्तु या सूचना और प्रौद्योगिकी हो जिससे विद्यार्थी ऐसी तकनीकों का चयन कर पाएँ जिससे कि वह वेबसाइट्, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, मल्टीमीडिया(बहु-माध्य) और अन्य सूचनात्मक प्रारूपों का बेहतरीन प्रयोग कर सकें। सुदृढ़ विषय-वस्तु को सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाता है और यह सभी प्रकार के तकनीकी पटल पर कार्य करने में सक्षम होती है।

© NCERT not to be republished

जहाँ पर शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ठीक तरह से इन विद्यार्थियों को नहीं सिखा पा रहे हैं या फिर वे स्वयं ही इस तकनीक से अनभिज्ञ हैं तो वे परियोजना आधारित अधिगम पद्धतियों का प्रयोग कर सुविधा वंचित और दिव्यांग विद्यार्थियों को इस वैश्विक महामारी में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। सामान्य एवं विशेष, दोनों प्रकार के शिक्षक परियोजना आधारित शिक्षण-अधिगम की विधियों से परिचित हैं। उनमें इस विधि से बच्चों को सिखाने का कौशल भी है क्योंकि उन्होंने अपने शिक्षक-प्रशिक्षण के दौरान इस विधि के बारे में सीखा है। इसके साथ ही इस विधि का कक्षा-कक्ष में विषय-वस्तु को सिखाने या फिर कई प्रकार की गतिविधियों को सिखाने में प्रयोग में लाया है। इस विधि का प्रयोग करने से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास सबल होता है और उनकी सक्रिय भागीदारी भी बढ़ती है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक पाठ्यचर्या के अनुरूप परियोजना आधारित कार्य का चयन करें व योजना बनाएँ। विद्यार्थी के माता-पिता से अपनी इस परियोजना के बारे में बात करें कि यह कैसे सफलतापूर्वक किया जा सकेगा और कैसे यह बच्चों में क्षमताओं का विकास करेगा? शिक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि क्या ये सभी समझ गए हैं कि इस परियोजना के तहत क्या और कैसे पूरा करना है? इस परियोजना को पूरे करने का समय निर्धारित कर लें और यह ध्यान रखें कि इस परियोजना में उपयोग होने वाली सामग्री घर में ही आसानी से उपलब्ध हो। विद्यार्थियों के अधिगम, भागीदारी व प्रगति के आकलन की विधि निर्धारित करना न भूलें।

आज आवश्यक हो गया है कि शिक्षकों के पास शिक्षण-सामग्रियों या उपकरणों का एक वहनीय थैला हो जिसे वह बच्चों व उनके अभिभावकों के साथ साझा कर सकता हो। दूरस्थ शिक्षा पद्धति इन बच्चों की शिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कुछ हद तक पूरी करने में सहायक हो सकती है। यह आवश्यक हो गया है कि शिक्षक बच्चों से उसके घर में या आसपास की वस्तुओं को अभिभावकों की मदद से पहचान कर अपनी दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था में उन वस्तुओं को प्रासंगिक तौर पर प्रयोग में लाएँ। सभी प्रकार के बच्चों की समायोजन संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करना भी अतिआवश्यक हो गया है। यह उनके शिक्षण-अधिगम के साथ-साथ अधिगम संप्राप्ति के आकलन करने भी सहयोगी होगा। शिक्षण-अधिगम की समय-सारणी में लचीलापन, समय-सीमा का निर्धारण, सहायक तकनीकों का प्रयोग, अनुदेशों के विभिन्न प्रारूपों का समावेशन, जैसे प्रिंट के विकल्प, ऑडियो, चित्र, चलचित्र, पूर्व-रिकॉर्डेड वाक्-सूचनाएँ इत्यादि का उपयोग कर दूरस्थ शिक्षा को सुसंगत बनाया जा सकता है।

दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में यह भी ज़रूरी है कि उन्हें आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सहायक सेवाओं (थेरेपी) की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। सर्वप्रथम इस महामारी में विद्यार्थी विशेष की व्यक्तिगत अतिआवश्यक सहायक आवश्यकताओं की पहचान की जानी चाहिए। शिक्षक व माता-पिता मिलकर विद्यार्थी की आवश्यकताओं की प्रकृति एवं गंभीरता का विश्लेषण भी ऑनलाइन या वीडियो संवाद के जरिए कर सकते हैं। तद्पश्चात दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत ही पहले व्यक्तिगत सहायक सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन योजना बना लें कि थेरेपी कब, कहाँ, कैसे व किसके द्वारा दी जाएगी? क्या यह ऑनलाइन माध्यम से अभिभावक के द्वारा थेरेपिस्ट के अनुदेशानुरूप उनकी निगरानी में दी जा

© NCERT not to be republished

सकेगी? इस तरह योजना को क्रियान्वित करें। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदान की गई इन सेवाओं की प्रभावशीलता का स्वमूल्यांकन कर लें जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना कारगर हुई या नहीं या फिर किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। यह ध्यान रहे कि व्यक्तिगत सहायक सेवाओं हेतु योजना का निर्माण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत अनिवार्य भी है।

इस आपदा में सामान्य शिक्षकों व विशेष शिक्षकों दोनों को ही शिक्षा विभाग से निरंतर सहायता की आवश्यकता है। उन्हें आदेश की जगह सलाह व उचित परामर्श, संसाधन, विद्यार्थियों और उसके परिवार के सदस्यों से जुड़ने के संदर्भ में उचित अनुदेश, दूरस्थ-ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्रयास व अनुप्रयास आधारित शिक्षण-अधिगम उपागमों का क्रियान्वयन करने की अनुमति की आवश्यकता है। साथ ही साथ यह भी समझना नितांत आवश्यक है कि माता-पिता व परिवार के अन्य सदस्यों को भी सहायता एवं परामर्श की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की शिक्षा व देख भाल करने के संबंध में परिवार की आवश्यकताओं की पहचान व आकलन करना ज़रूरी है। शिक्षा विभाग की देखरेख में विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि सेवाओं की उपलब्धता, उपकरण, संसाधन, सामग्री, प्रशिक्षण, ऑनलाइन/इंटरनेट संचालित करने की विधि का प्रदर्शन, थेरेपी सेवाएँ इत्यादि क्षेत्रों में परिवारजनों की सहायता हेतु योजना बनाकर तथा छोटे स्तर पर किसी खास क्षेत्रों का चयन कर क्रियान्वित किया जाना चाहिए। यदि यह सफलतापूर्वक संचालित हो जाता है तो इसे वृहत स्तर पर लागू किया जा सकता है।

अंतत: दिव्यांग विद्यार्थियों व अन्य सुविधा वंचित विद्यार्थियों को दूरस्थ-ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जोड़ने के लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और उपलब्ध संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) की क्षमताओं का आकलन करना ज़रूरी है कि उच्च तकनीक का प्रयोग कर कैसे शिक्षक समतामूलक समावेशी व गुणावत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकते हैं? दूरस्थ शिक्षा के विभिन्न विकल्पों जैसे कि ऑनलाइन वर्चुअॅल पाठ, डाउनलोड करने योग्य पाठ, मूक, मोबाइल फ़ोन, सामाजिक मीडिया ब्लास्ट, दिव्यांग विद्यार्थियों के उपयोग हेतु सुगम्य संसाधन— जैसे कि स्क्रीन रीडर इत्यादि का अन्वेषण भी किया जाना चाहिए। यदि विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो ऐसे में रेडियो और टेलीवीज़न के माध्यम से संचालित विद्यालयी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम दूर-दराज के विद्यार्थियों व अभिभावकों के लिए उपयोगी हैं। दिव्यांग विद्यार्थियों व अन्य सुविधा वंचित विद्यार्थियों के लिए शिक्षण सेवाओं की उपलब्धता एवं सुगम्यता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। आवश्यक विषय तथा विषय-वस्तु का चयन कर उसे दूरस्थ शिक्षा में पहले तवज्जो दिया जाना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों के साथ-साथ अभिभावकगण भी सक्रिय भागीदारी निभाएँ क्योंकि वे स्वयं ही विषय-वस्तु चयन करने में शिक्षकों की मदद करेंगे। अतिआवश्यक थेरेपी, योग, परामर्श आदि सेवाओं को भी ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किया जा सकता है, बस ध्यान रखना है कि ये सेवाएँ विशेषज्ञों की निगरानी में ही करायी जाएँ तथा आधारभूत हों। इस दिशा में शिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षण दिया जाना भी ज़रूरी है जिससे वे जान पाएँ कि वे सभी बच्चों को समान अवसर कैसे प्रदान करेंगे और उनकी

© NCERT not to be republished

प्रतिभागिता कैसे सुनिश्चित करेंगे? वाह्ट्सएप और अन्य सामाजिक संवाद पटल पर इन बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करते रहने की आवश्यकता है। बच्चों की सहभागिता हेतु कभी ऑफ़लाइन तथा कभी ऑनलाइन और कभी दोनों माध्यमों और विभिन्न शिक्षा के उपागमों को आवश्यकतानुसार सम्मिलित करने का प्रयास किए जा सकते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सभी उपकरण या सामग्री रूपांतरित नहीं किए जा सकते हैं और कई बार उन्हें रूपांतरण या संशोधन करने की आवश्यकता भी नहीं होती है, यह विद्यार्थी की अधिगम संबंधी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। ऐसे उपकरण या प्रणाली के प्रयोग पर ज़ोर दें जिसे मोबाइल फ़ोन के जरिए चलाया जा सकता है क्योंकि मोबाइल फ़ोन अब ज़्यादातर लोगों के पास उपलब्ध हैं। शिक्षा विभाग, टेलीकॉम सेवाएँ उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के साथ शिक्षण-अधिगम साइट्स और उसकी सुगम्यता से संबंधित अनुबंध कर सकता है जिससे कि नि:शुल्क या कम लागत पर ऑनलाइन सुविधाएँ दिव्यांग व सुविधा वंचित समुदायों के विद्यार्थियों को सुलभ हों सकें। ऑनलाइन सामुदायिक शिक्षा सहायता समूह का निर्माण कर विभिन्न प्रकार की परिचर्चा, प्रश्न व समाधान, शिक्षा की सुलभता एवं सुगम्यता, समुदाय की भागीदारी इत्यादि मुद्दों का समाधान निकाला जा सकता है।

निष्कर्ष

भारतीय समाज की सामाजिक विविधता ही इसकी अनमोल संपत्ति है। हमारे विद्यालय और कक्षाओं में विभिन्न सामाजिक विविधताओं वाली पृष्ठभूमि के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों को उनके सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक पहचान, दिव्यांगता, जेंडर, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों इत्यादि के आधार पर संदर्भित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है सभी बच्चों की विविध सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान करते हुए उससे अवगत होकर एक समावेशी समाज का निर्माण करना तथा सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। कोविड–19 ने वैश्विक स्तर पर एक भयावह स्वास्थ्य-संबंधी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिसका सीधा एवं गहरा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य एवं सामाजिक-आर्थिक परिवेश के अलावा बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है। ऐसे में बच्चों के शिक्षण-अधिगम के लिए दूरस्थ ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम अपनाया गया है। सुविधा वंचित समूहों के बच्चे व दिव्यांग बच्चे इस दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था से समुचित रूप से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। विद्यालयी शिक्षा से जुड़े हितधारी वर्ग अत्यंत चिंतित हैं कि कहीं सुविधा वंचित समूह के बच्चे शिक्षा व्यवस्था से अलग-थलग होकर विद्यालय न त्याग दें। अतएव यह आवश्यक हो गया है कि दूरस्थ ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। इस वैश्विक महामारी में अन्य वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था (उदाहरणस्वरूप, परियोजना आधारित शिक्षा या सामाजिक अधिगम पर आधारित शिक्षा आदि) की प्रायोगिकता का भी अन्वेषण और आकलन किया जाए। दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था से संबंधित आवश्यकताएँ, बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताएँ, तकनीकी योग्यता व

© NCERT not to be republished

विशेषज्ञता, शिक्षकों की आवश्यकताएँ, माता-पिता व परिवार की भागीदारी, उपकरणों एवं संबंधित संसाधनों की सुलभता, दूरस्थ शिक्षा में विभिन्न प्राविधियों व उपागमों का समावेश इत्यादि ऐसे कई कारक हैं जो दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। हालाँकि, (यह भी ध्यान रखने की सर्वथा ज़रूरत है कि दूरस्थ-इंटरनेट–उच्च तकनीक आधारित शिक्षण-अधिगम कभी भी समक्ष–प्रस्तुतिकरण की जगह नहीं ले सकता और न ही उसकी कभी भी भरपाई कर पाएगा) यह समतामूलक और समावेशी शिक्षा का माहौल बनाने के लिए कभी भी आदर्श नहीं हो सकता है। अतएव, वर्तमान में इस कोविड–19 वैश्विक महामारी या भविष्य में अन्य किसी भी प्रकार की आपदाओं के दौरान दिव्यांग एवं सुविधा वंचित समूहों के विद्यार्थियों को शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने की ज़िम्मेदारी भी हम सभी लोगों को मिलकर ही उठानी पड़ेगी।

संदर्भ

द *हिंदू*. 26 जुलाई, 2016. पारसी पॉपुलेशन डिप्स बाइ 20 परसेंट बिट्वीन 2001–2011. नयी दिल्ली.

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम. 2016. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

नीपा. 2017. *भारत में स्कूली शिक्षा-यू-डीआईएसई फ्लैश स्टैटिस्टिक 2016–17*. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

भारत की जनगणना. 2011. *सी-सीरीज़, टेबल सी-20,* भारत की जनगणना 2011. वधवाणी फाउंडेशन. Org/Disability2011

यूआईएस. 2013. *ग्लोबल इनिशिएटिव् ऑन ऑउट-ऑफ़-स्कूल चिल्ड्रेन*, यूनेस्को.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति. 2020. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

विश्व स्वास्थ्य संगठन. 2011. www.who.int/times/uncommunicable-disease/disability-and-rehabiliation/world-report-ondisability

शिक्षा का अधिकार (संशोधित) अधिनियम. 2012. *नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधित) अधिनियम* 2012. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

शिक्षा का अधिकार अधिनियम. 2009. *नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में एमएचआरडी 2011–12). *वार्षिक रिपोर्ट, 2011–12*. पृष्ठ 25. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

———. 2018. समग्र समीक्षा एन इनटरग्रेटिड स्कीम फ़ॉर स्कूल एजुकेशन फ़्रेमवर्क फ़ॉर इम्पलीमेंटेशन. पृष्ठ 9. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग. शिक्षा मंत्रालय.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग. 2018. *हैंडबुक ऑन सोशल वेलफेयर स्टेटिस्टिक्स*. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, प्लान डिवीजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished